न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 14/2019

दायर दिनाँक 30.07.2019

आवेदक		अनावेदकगण
1. ज्यानी देवी पत्नि दियालराम उम्र 74 वर्ष 2. भैरूराम पुत्र जेठाराम उम्र 62 वर्ष 3. मूलाराम पुत्र जेठाराम उम्र 55 वर्ष निवासीगण पालोट तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. टीकुराम पुत्र नानुराम 2. सेहनी पुत्री जयराम 3. रामेश्वरी पुत्री जयराम 4. पाँची देवी पुत्री जयराम 5. शान्ति देवी पुत्री जयराम 6. कमला पुत्री जयराम 7. राधा पुत्री जयराम 8. ओमप्रकाश दत्तक पुत्र जयराम समस्त जाति जाट, निवासी पालोट, तहसील डीडवाना, जिला नागौर (राज.)

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री हीरसिंह बलारा वकील प्रार्थी
2. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनाँक :– 03.11.2020

यह है कि प्रार्थीगण डीडवाना उपखण्ड के ग्राम पालोट के रहने वाले है तथा प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 210 वाके पालोट में आने जाने व गाड़ी छकड़ा ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने का रास्ता पिढ़ियों से खसरा संख्या 211 की दक्षिणी सिंव–सिंव होकर नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए, बी होकर रहा है। तथा इस रास्ते को 12 फुट चौड़ाई में डी.एल. सी. दर पर खेत में आने जाने गाड़ी छकड़ा ट्रैक्टर आदी लाने ले जाने के लिए चाहते है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पंत्राक 170 दिनांक 29.07.2020 द्वारा रिपोर्ट पेश की। उक्त रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण ने आपत्ति पेश की जिस पर तहसीलदार डीडवाना से पुनः मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक 1798 दिनांक 02.11.2020 के द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट पेश की। उक्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थीगण ने आपत्ति पेश की।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 14/2019
दायर दिनाँक 30.07.2019, निर्णय दिनाँक 03.11.2020
ज्यानादेवी बनाम टीकूराम वगैरा।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार डीडवाना के पंत्राक 1798 दिनांक 02.11.2020 की रिपोर्ट अनुसार 4545 वर्गफुट जमीन बनती है। जो कि पूर्व रिपोर्ट पंत्राक 170 दिनांक 29.07.2020 की रिपोर्ट का तीन गुना है। जो कि काफी लम्बा रास्ता है। उक्त रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी आपत्ति पेश करते है। अगर तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 1798 दिनांक 02.11.2020 के द्वारा रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी रूपये नहीं देकर जमीन के बदले जमीन देने के लिए तैयार है। अप्रार्थीगण जमीन के बदले जमीन लेने पर सहमत नहीं है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण तहसीलदार डीडवाना के पंत्राक 1798 दिनांक 02.11.2020 की रिपोर्ट अनुसार रास्ता देने पर सहमत है।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना के पंत्राक 1798 दिनांक 02.11.2020 की रिपोर्ट अनुसार 4545 वर्गफुट जमीन बनती है। जो कि अधिक दुरी का रास्ता है तथा न्यूनतम रास्ता नहीं है। तहसीलदार डीडवाना के पंत्राक 170 दिनांक 29.07.2020 द्वारा रिपोर्ट पेश की। जो कि 1704 वर्गफुट जमीन बनती हैं जो सबसे नजदीक व न्यूनतम रास्ता है तथा कम दुरी का रास्ता है।

तहसीलदार डीडवाना के पंत्राक 170 दिनांक 29.07.2020 की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 210 वाकै सरहद पालोट में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 170 दिनांक 29.07.2020 में दर्शित मार्क ए से बी भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रभावित रास्त के क्षैत्रफल 1704 वर्गफुट भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 170 दिनांक 29.07.2020 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

3/11/20
(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 03.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

3/11/20
(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner